वकील वादी तथा व
प्रतिवादीगण उपस्थित। हमने वकील वा
तथा वकील प्रतिवादीगण की वकील प
के प्रार्थनापत्र आदेश 07 नि० 11 सीपीसी
बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया व
विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का
भी गहनता पूर्वक अवलोकन कर उस पर
भी मनन किया। प्रकरण के सम्पूर्ण वि
के उपरान्त यह पाया कि वादी ने वाद
कृषि भूमि खसरा नं. 87 में से $\frac{1}{5}$ हक हिस्सा
क्रेता लक्ष्मण कुमार पुत्र रवासाजी नागर
विक्रय कर दिया है जिसका नामान्तरकरण सं
548 दि० 28.1.2016 राजस्व रेकर्ड जमा
में अंकित भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में
वादी द्वारा खसरा नं. 87 में से अपना हक हिस्स
विक्रय करने के फलस्वरूप उक्त वाद विधि
परिपोषणीय नहीं होने से विचारण यह वाद
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 R
का काबिल खारिज होने तथा संबंधित पटवा
हल्का नवारा, भू०अभि० बरलुट तथा नायब तह
कालन्द्री के उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब अनुसार
वादी स्वयं ने खातेदारी भूमि में से अपना हक
हिस्सा बेचान से वादी का यह वाद चलने
योग्य नहीं होने से खारिज करने की रिपोर्ट
करने के फलस्वरूप विचारण यह वाद विधि
में परिपोषणीय नहीं होने से उक्त सभी के आधार
पर यह वाद काबिल खारिज है। अतः वकील
प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नि
सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कि
जाता है तथा वादी का यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 18
R.T. Act का विरुद्ध प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार
खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।
आदेश खुले इजलास सुनाया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
02/2/18
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)